राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैंच सं. 2
(न्यायालय :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर)

इन्द्रजीत सिंह आदि बनाम समुन्द्र सिंह आदि
वाद सं 144/2012 जीसीएमएस आईडी 2012/00131
दावा बाबत तकसीम–घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88,53,188,92ए आरटीएक्ट

12.03.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/स्था/ने.लो.अ./2022/21 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (राजस्व न्यायालयों) हेतु गठित की गई बैंच सं. 2 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई। प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं। प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। वकील वादीगण वाद पत्र नोट–प्रेस कर प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका हैं। अतः वकील वादीगण को वाद पत्र नोट प्रेस करने की अनुमति दी जाती हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण वकील वादीगण द्वारा नोट–प्रेस करने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

12/3/2022
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:54:18 IST
Reason: SelfAttested